न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2024(GCMS 2024/193)
(आरटीआई संख्या 212130561802510)

श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री जयमलराम , वीपीओ मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर – 335038 (मोबाईल नं. 89479–59782)

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जसवन्त सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. सही मानचित की प्रमाणित प्रति।
2. गलत मानचित्र की प्रमाणित प्रति।
3. मु.नं. 57 व मु.नं. 29/16 में सिंचाई विभाग की भूमि के क्षेत्रफल की प्रमाणित जानकारी
4. शुद्धिकरण विधि की प्रमाणित जानकारी बाबत।

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब देते हुए अपने पत्रांक सम/4067 दिनांक ... से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	तहसील श्रीगंगानगर चक 10 एफ बड़ा मुरब्बा नं. 57 च चक 11 एफ बड़ा 11 मु.नं. 29 / 16 के मध्य नहरे निकलती है। सही मानचित्र की प्रमाणित प्रति बाबत।	तहसील श्रीगंगानगर चक 10 एफ बडा मुरब्बा नं. 57 च चक 11 एफ बड़ा 11 मु.नं. 29 / 16 के मध्य नहरे निकलती है, की मानचित्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
2	गलत मानचित्र की प्रमाणित प्रति बाबत।	तहसील कार्यालय में मानचित्र का अवलोकन करें
3	मु.नं. 57 व मु.नं. 29 / 16 में सिंचाई विभाग की भूमि के क्षेत्रफल की प्रमाणित जमाबन्दी	जमाबन्दी हाल चक 10 एफ बड़ा के मु.नं. 57, 58, 59 व चक 11 एफ बड़ा के मु.नं. 59 का जमाबन्दी एवं मानचित्र संलग्न है।
4	शुद्धिकरण विधि की प्रमाणित जानकारी बाबत।	आपकी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

-sd-

तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक [illegible] में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास [illegible]** [illegible] कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये [illegible] लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के [illegible]तर्गत किसी लोक अधिकारी को**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:05 IST
Reason: SelfAttested